

कार्यालय/न्यायालय उपजिलाधिकारी, रसड़ा जनपद बलिया ।

पत्रांक:- मेमो

दिनांक:- मार्च, 22 2020

आदेश

जबकि मेरी इस शंका का समाधान हो गया है, कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु समुचित कदम एक एवं क्वारान्टाइन आवश्यक है, तथा

जबकि निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में सूचना प्राप्त हुई है कि यह लोग विदेश यात्रा कर वापस आए हैं, तथा लक्षण विहीन होने के पश्चात भी कोरोना नियंत्रण हेतु इनका क्वारान्टाइन आवश्यक है ।

1. अशोक कुमार सिंह पुत्र विजय बहादूर सिंह नि० लखुआ(प्रधानपुर) थाना रसड़ा, बलिया मो०नं० 9554415527 ।
2. सत्येन्द्र सिंह उर्फ पलटू सिंह पुत्र स्व० प्रभूनाथ सिंह नि० मुण्डेरा थाना रसड़ा जनपद बलिया मो०नं० 9450785509
3. रियाज पुत्र मुख्तार नि० नगहर थाना रसड़ा जनपद बलिया मो०नं० 6391177355 ।

अतएव, मैं डा० विपिन कुमार जैन, उपजिलाधिकारी रसड़ा, महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897(सेक्शन 2) एवं उ०प्र० महामारी कोविड-19, 2020 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नलिखित आदेश करता हूँ—

1. उपरोक्त व्यक्ति महामारी के दृष्टिगत यह आज के दिवस से अगले 14 दिवस तक अपने-अपने घर में क्वारान्टाइन रहेगे । लक्षण आने पर तत्काल प्रशासन/प्रभारी चिकित्साधिकारी को सूचित करेंगे ।
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव/लेखपाल/बीट आरक्षी इस आदेश की प्रति सम्बन्धित के घर/दरवाजे पर चस्पा कराते हुए गांव में मुनादी कराना सुनिश्चित करेंगे । सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों की सूची तैयार कर उन्हें भी होम क्वारान्टाइन हेतु निर्देशित कर सूची इस कार्यालय को समर्पित करेंगे ।
3. प्रभारी चिकित्साधिकारी/तहसीलदार/सम्बन्धित थाना निरीक्षक इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।

आज दिनांक 22.03.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया ।

उपजिलाधिकारी रसड़ा
जनपद बलिया ।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक जनपद बलिया ।
2. CMO/CMS जनपद बलिया ।
3. प्रभारी चिकित्साधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/थानाध्यक्ष रसड़ा, को अनुपालनार्थ ।
4. सम्बन्धित प्रधान/सचिव/लेखपाल को अनुपालनार्थ ।

उपजिलाधिकारी रसड़ा
जनपद बलिया ।